

दिनांक 18.06.2026 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 18.06.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी महाराजगंज, मुख्य विजिल्स अधिकारी महाराजगंज, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे. एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स रिथविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की मासिक समीक्षा बैठक में कार्यदायी फर्मों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

1. पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त तोड़ी गयी समस्त सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कराने एवं मरम्मत कार्य की सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2. जो योजनाएँ O&M में चली गयी हैं उन योजनाओं से ग्रामीणों को नियमित जलापूर्ति संचालित की जाये तथा उसकी सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।
3. खण्ड विकास अधिकारी की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अभिलेखों सहित सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
4. निर्माणाधीन योजनाएँ जिसकी प्रगति 80-90 प्रतिशत व 90-100 प्रतिशत के मध्य है उसकी सूची खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।
5. निर्माणाधीन 90-100 प्रतिशत के मध्य वाली योजनाओं को माह-अगस्त 2026 तक शत प्रतिशत पूर्ण कर O&M में ले जाने के निर्देश दिये गये।
6. ग्रामों में पाइप लाइन डालने के उपरान्त तत्समय रोड रेस्टोरेशन कराना सुनिश्चित करें, ताकि माओ जनप्रतिनिधियों/ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा रोड रेस्टोरेशन कराने व पूर्ण योजनाओं से नियमित जलापूर्ति को लेकर शिकायतें प्राप्त ना हो।

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 3 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना माओ उच्च न्यायालय एवं 2 माओ सिविल कोर्ट में विचारधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 से अधिक योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 200 योजनाओं को माह-अक्टूबर तक पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 1 परियोजना वन विभाग से NOC हेतु एवं 1 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 79 योजनाओं को माह-अक्टूबर तक पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- स्थिविक

अधिशाली अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 2 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 96 योजनाओं को माह-अक्टूबर तक पूर्ण किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स स्थिविक कोया (जे0वी0) - स्थिविक/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशाली अभियन्ता (वि0/याँ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशाली अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(4) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	75	74	1
2	Ritwik	44	42	2
3	Koya	39	33	6
Total -		158	149	9

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे राजस्व ग्राम जिनके रोड रेस्टोरेशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है की सूची बनाते हुये कराये गये कार्यों की विडियोग्राफी अग्रिम बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त की कापी सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) मेसर्स आर०वी०ए०सोसिएट्स (जे०वी०) निम्नो कोर्ड DPMU- अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट व निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग से सम्बन्ध स्थापित कर साथ सम्बन्धित समस्त प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करते हुये भूमि विवादों को अगली मासिक बैठक निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

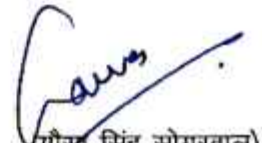
(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU)/अधिशारी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण).

(6) अधिशारी अभियन्ता (वि०/यॉ०) खण्ड, जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर- अधोहस्ताक्षरी द्वारा वि०/यॉ० खण्ड के सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वि०/यॉ० कार्यों से सम्बन्धित कार्यों का विवरण-जैसे विद्युत पोल, तार, ट्रांसफार्मर, विद्युत मीटर, विद्युत संयोजन/इनरजाईज आदि अधिष्ठापन की सूची अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिससे योजनाओं के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता तय करते हुये ससमय पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही:- अधिशारी अभियन्ता (वि०/यॉ०), जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

(7) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज के साथ बैठक कर अधिशारी अभियन्ता वि०/यॉ० खण्ड गोरखपुर से पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन/इनरजाईज के अधूरे कार्यों की प्राप्त सूची के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुये ससमय योजनाओं पर विद्युत संचालन अगली मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व विशेष रूप अवशेष विद्युत संयोजन कार्य विद्युत मीटर के साथ अधिष्ठापित करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी योजनायें जिनमें सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकें जिसकी सूची जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उनमें विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति अविलम्ब पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही:- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज)


(गौरव सिंह सोमरवाल)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1539/वि०वि०-40/59 दिनांक: 04/07/2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो०क्षे०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशारी अभियन्ता (वि०/यॉ०), उ०प्र० जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स मे० जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स स्थविक कोया (जे.वी.), स्थविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सोप्ट प्रा०लि०, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टिनेटर (DPMU) महाराजगंज।

जिलाधिकारी
महाराजगंज।

दिनांक 18.06.2026 को जिलाधिकारी महाराजगंज की अध्यक्षता में सम्पन्न जल जीवन मिशन-हर घर जल की समीक्षा बैठक (समस्त घटक) का कार्यवृत्त:-

दिनांक 18.06.2026 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी महाराजगंज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महाराजगंज, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, सहायक अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) महाराजगंज, प्रोजेक्ट मैनेजर जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.) महाराजगंज, प्रोजेक्ट इंजीनियर मेसर्स रिथविक-कोया (जे.वी.) महाराजगंज, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर TPIA, DPMU आदि उपस्थित रहे।

बैठक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-



अधोहस्ताक्षरी द्वारा जल जीवन मिशन की मासिक समीक्षा बैठक में कार्यदायी फर्मों को निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

1. पाइप लाइन विछाने के उपरान्त तोड़ी गयी समस्त सड़कों का शत प्रतिशत मरम्मत कराने एवं मरम्मत कार्यों की सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
2. जो योजनायें O&M में चली गयी हैं उन योजनाओं से ग्रामीणों को नियमित जलापूर्ति संचालित की जाये तथा उसकी सूची सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।
3. खण्ड विकास अधिकारी की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अभिलेखों सहित सम्बन्धित कार्मिक द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
4. निर्माणाधीन योजनायें जिसकी प्रगति 80-90 प्रतिशत व 90-100 प्रतिशत के मध्य है उसकी सूची खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जाये।
5. निर्माणाधीन 90-100 प्रतिशत के मध्य वाली योजनाओं को माह-अगस्त 2026 तक शत प्रतिशत पूर्ण कर O&M में ले जाने के निर्देश दिये गये।
6. ग्रामों में पाइप लाइन डालने के उपरान्त तत्समय रोड रेस्टोरेशन कराना सुनिश्चित करें, ताकि मा0 जनप्रतिनिधियों/ग्राम प्रधान/ग्रामवासियों द्वारा रोड रेस्टोरेशन कराने व पूर्ण योजनाओं से नियमित जलापूर्ति को लेकर शिकायतें प्राप्त ना हो।

(1) मेसर्स जे.एम.सी.प्रोजेक्ट से सम्बन्धित कार्य (JJM फेज-2):-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 446 राजस्व ग्रामों के 341 परियोजनाओं के सापेक्ष 3 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 1 परियोजना मा0 उच्च न्यायालय एवं 2 मा0 सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-ऑर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 से अधिक योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 200 योजनाओं को माह-अक्टूबर तक पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(2) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- कोया

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 345 राजस्व ग्रामों के 205 परियोजनाओं के सापेक्ष 5 परियोजनाओं में भूमि विवाद के कारण कार्य प्रभावित है जिसमें 3 परियोजना मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है तथा 1 परियोजना वन विभाग से NOC हेतु एवं 1 परियोजना राजस्व विभाग/चकबंदी में होने के कारण लम्बित है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 79 योजनाओं को माह-अक्टूबर तक पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0)- कोया/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग, महाराजगंज

(3) मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) (JJM फेज-3):- रिथविक

अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि 302 राजस्व ग्रामों के 174 परियोजनाओं के सापेक्ष 2 परियोजनायें मा0सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। जिसके सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी द्वारा भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरण को डिस्ट्रिक्ट को-आर्डिनेटर (DPMU) को सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त कर भूमि विवादों का निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

फर्म को निर्देशित किया गया कि मैनपावर की पर्याप्त संख्या बढ़ाते हुये O&M हेतु प्रतिमाह का लक्ष्य 50 योजना तक ले जाये, जिससे O&M हेतु निर्धारित प्रियारिटी लक्ष्य 96 योजनाओं को माह-अक्टूबर तक पूर्ण किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:-परियोजना प्रबन्धक, मेसर्स रिथविक कोया (जे0वी0) - रिथविक/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) महाराजगंज, अधिशासी अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण) गोरखपुर, अधिशासी अभियन्ता विद्युत विभाग महाराजगंज

(4) मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 TPIA:- डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर (TPIA) द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्वयन में पिछली बैठक से वर्तमान तक प्रस्तुत की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

S.No.	Name of Agency	Critical NC	Compliance	Pending
1	JMC Project	75	74	1
2	Ritwik	44	42	2
3	Koya	39	33	6
Total -		158	149	9

अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे राजस्व ग्राम जिनके रोड रेस्टोरेशन का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है की सूची बनाते हुये कराये गये कार्यों की विडियोग्राफी अग्रिम बैठक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त की कापी सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:- परियोजना प्रबन्धक, जे0एम0सी0 एवं एल0सी0ई0एस0पी0एस0(जे0वी0)/मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(5) मेसर्स आर0वी0एशोसिएट्स (जे0वी0) निम्नो कोर्ड DPMU:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर साथ भूमि सम्बन्धित समस्त प्रकरण की अद्यतन रिपोर्ट प्राप्त करते हुये भूमि विवादों को अगली मासिक बैठक से पूर्व निस्तारित कराने के निर्देश दिये गये।

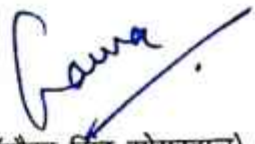
(कार्यवाही:- डिस्ट्रिक्ट क्वार्टरनेटर (DPMU)/अधिशाली अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण),

(6) अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0) खण्ड, जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा वि0/यॉ0 खण्ड के सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि वि0/यॉ0 कार्यों से सम्बन्धित कार्यों का वितरण-जैसे विद्युत पोल, तार, ट्रांसफार्मर, विद्युत मीटर, विद्युत संयोजन/इनरजाईज आदि अधिष्ठापन की सूची अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड महाराजगंज को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिससे योजनाओं के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता तय करते हुये ससमय पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही:- अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), जल निगम (ग्रामीण), गोरखपुर)

(7) अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज:- अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड को निर्देशित किया गया कि मुख्य विकास अधिकारी महाराजगंज के साथ बैठक कर अधिशाली अभियन्ता वि0/यॉ0 खण्ड गोरखपुर से पेयजल योजनाओं पर विद्युत संयोजन/इनरजाईज के अधूरे कार्यों की प्राप्त सूची के अनुसार प्राथमिकता तय करते हुये ससमय योजनाओं पर विद्युत संचालन अगली मासिक समीक्षा बैठक से पूर्व विशेष रूप अवशेष विद्युत संयोजन कार्य विद्युत मीटर के साथ अधिष्ठापित करने हेतु निर्देशित किया गया। ऐसी योजनायें जिनमें सिविल कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुकें जिसकी सूची जल निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी है उनमें विद्युत सम्बन्धी समस्त कार्यों को पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति अविलम्ब पूर्ण कराया जाये।

(कार्यवाही:- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज


(गौरव सिंह सोगरवाल)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
महाराजगंज।

कार्यालय जिलाधिकारी, महाराजगंज

पत्रांक: 1539 / वि0वि-40 / 59 दिनांक: 04/07/2026

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, महाराजगंज।
2. मुख्य अभियन्ता(गो0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, महाराजगंज।
5. अधिशाली अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), महाराजगंज।
6. अधिशाली अभियन्ता (वि0/यॉ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गोरखपुर।
7. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स में0 जे.एम.सी.प्रोजेक्ट एवं एल.सी.ई.एस.पी.एस.(जे.वी.), महाराजगंज।
8. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), कोया-महाराजगंज।
9. प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स रिथविक कोया (जे.वी.), रिथविक-महाराजगंज।
10. मेसर्स मेघज टेक्नो कान्सोप्ट प्रा0लि0, महाराजगंज।
11. डिस्ट्रिक्ट क्वार्टरनेटर (DPMU) महाराजगंज।


जिलाधिकारी
महाराजगंज।